न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 3/25

GCMS NO 2025/7

1. सुशीला पुत्री मनोहरलाल पत्नि भगवान सिह जाति जाटव निवारी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
2. सन्तरा पुत्री मनोहरलाल पत्नि अमृतलाल जाति जाटव निवारी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
3. सुगरो पुत्री मनोहर लाल पत्नि नेहरू जाति जाटव निवारी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
4. भूरबाई पुत्री मनोहरलाल पत्नि वीरसिह जाति जाटव निवारी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
5. गीतादेवी पुत्री मनोहर लाल पत्नि रामगोपाल जाति जाटव निवारी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
6. मीरा देवी पुत्री मनोहरलाल पत्नि बाबू जाति जाटव निवारी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी

अपीलांट

बनाम

1. रामसिह पुत्र हरि
2. लक्ष्मण पुत्र हरि
3. ममता पुत्री हरि
4. रामेश्वर पुत्र सुगन्या जातियान गुर्जर निवासीयान सालौदा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
5. रामनिवास पुत्र अमृतल
6. सुनिता पत्नि धनसिह जातियान मीना निवासीयान पीलोदा तहसील वजीरपुर
7. भूमिका देवी उर्फ भूदेई बेवा ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
8. सायल पुत्र ओमप्रकाश
9. प्रवीण पुत्र ओमप्रकाश दोनो नाबालिंग जरिये संरक्षक माता भूमिका देवी उर्फ भूदेई बेवा ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
10. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 160/12 निर्णय दिनांक 1.4.15 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री तरूण शर्मा।

अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 7 ता 9 की और से श्री संतोष कुमार जाटव

दिनांक 10.9.25

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा [illegible] विरूद्ध निर्णय दिनांक 1.4.15 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रामनि[illegible] पत्नि अमृतलाल व सुनिता पत्नि धर्म सिह जान्यियान मीना निवासीयान पीलोदा द्वारा एक प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के पिता हरि व रेस्पो0 संख्या 4 रामेश्वर के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान की सहखातेदारी की भूमि हाल ख0न0 282 रकबा 0.60 है0 ग्राम सालोदा मे स्थित है। जिसका मौके पर पक्षकारा ने विभाजन कर रखा है। गैरसायलान ने अपने हिस्से की भूमि को स्टाम्पो के जरिये प्लाटो के रूप मे बेचान कर दिया है। सायलान के हिस्से की भूमि मौके पर खाली पडी हुई है। जिस पर सायलान का कब्जा चला आ रहा है। गैरसायलान की नियत अब खराब है। अब वे अपने हिस्से की भूमि को प्लाटो के रूप मे विकय करने के बाद अब सायलान के हिस्से की भूमि को भी प्लाटो के रूप मे दीगर व्यक्तियो को विकय करने पर आमादा है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम सालोदा मे स्थित भूमि हाल खसरा न0 282 रकबा 0.60 है0 को बिना विभाजन के न तो स्वयं कोई निर्माण करे तथा ना ही किसी अन्य से करावे तथा ना ही भूमि की किस्म को परिवर्तित करे। विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ सायलान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबंद किया गया कि भूमि खसरा न0 282 रकबा 0.60 है0 की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सिद्वान्तो व मिसल के तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट क पिता जो कि वादग्रस्त जायदाद के रिकार्डेड खातेदार रहे है को पाबंद किये जाने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का रहा है अन्य पक्षकार भी विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार रहे है। किन्तु उसके बाबजूद भी उक्त आदेश जारी करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तीन सिद्वान्त प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु का बिना विधिक विवेचन किये उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का बिना विधिक विवेचन किये आनन फानन मे बिना विधिक प्रावधानो की विवेचना कर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश मात्र आर्डरशीट पर सरसरी तौर पर पारित किया गया है जो कि आदेश की परिभाषा मे नही आता है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैरसायल हरि की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान को रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 पक्षकार बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की बजह से मृत पक्षकारो के वारिसान के नाम नामा0 की तामिल नही हो पा रही है। इस प्रकार मृत व्यक्तियो के वारिसान के नाम नामा0 खो जाने के आदेश पारित करते हुए अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 के अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि भूमि खसरा न0 280 रकबा 0.60 है0 ग्राम सालोदा जो गैरसायल 1 लगायत 2 की पैतृक एवं स्वामित्व मे रही है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि भूमि खाली पडी हुई है जबकि सत्यता यह है कि उक्त आराजीयात मे गैरसायलान संख्या 1 व 2 ने अपने हिस्से मे मकान बना रखे है। उक्त खाली भूमि से अपीलांट का कोई संबंध नही है ना ही कभी कब्जा रहा है। सायलान/अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर दी गई प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त भूमि को पूर्व मे ही जरिये स्टाम्प प्लाट काटकर बेचान किया जा चुका है तथा विभिन्न लोगो ने मकान बना लिये है। अपीलांट/सायलान द्वारा रेस्पो/गैरसायलान को हेरान परेशान करने की बजह से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त खातेदारी की आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण ही विधिवत रूप से उभयपक्ष को मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम करने के आदेश विधिवत रूप से दिये गये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। जिससे यह तथ्य सामनें आये है कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे संयुक्त खातेदारी की आराजीयात दर्ज है। इस तथ्य को सायल एवं गैरसायल द्वारा स्वीकृत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वाहुलता के कानूनी बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे मृत व्यक्तियो के वारिसान के नाम नामा0 खुलने की प्रकिया नही हो पा रही है। चूकिः उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। नामा0 प्रकिया एक सतत प्रकिया है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की आड मे लंबित किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अतः न्यायहित मे मृतको के विधिक वारिसानो के नाम अन्तरण रोके जाने की हद तक पारित आदेश निरस्त करते हुए शेष अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0न0 160/12 मे पारित निर्णय दिनांक 1.4.15 मे आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा न0 282 रकबा 0.60 है0 ग्राम सालोदा के संयुक्त खातेदारो मे से यदि कोई पक्षकार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.4.15 के पश्चात फौत हुआ हो तो उसके विधिक वारिसान के नाम नामा0 संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। शेष निर्णय अधिनस्थ न्यायालय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:38 IST
Reason: SelfAttested

नोट:- निर्णय के अंतिम [illegible] 1/4/15 के [illegible] पढा जावे।
स्थान पर मंगलीबाई पत्नि मन्नालाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner